

दिनांक	<p style="text-align: center;">न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 03, अजमेर</p> <p style="text-align: center;">मै. अशोका कांटेक्टर्स बनाम सार्वजनिक निर्माण विभाग व अन्य दीवानी इजराय सं. 05/2021 सी आई एस स. 177/21</p>	अनुपालना टिप्पणी
13-01-2026	<p>अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। अपर लोक अभियोजक उपस्थित। मद्युन विभाग की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज सूची के साथ पेश कर निवेदन किया कि उनके द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा रही है, जिस बाबत विभाग को पत्र लिखा गया है। अतः भुगतान हेतु समय दिया जावे। जिसकी नकल अधिवक्ता डिक्रीदार को दिलाई गई। जिस बाबत अधिवक्ता डिक्रीदार द्वारा निवेदन किया गया कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से भुगतान करवाया जावे। मद्युन विभाग को आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से भुगतान किया जावे, अन्यथा विधिक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली वास्ते भुगतान कार्यवाही हेतु दिनांक 31-01-2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(नीरज गुप्ता) अपर जिला न्यायाधीश संख्या-3, अजमेर</p>	